भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2274 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 15 दिसंबर, 2023/ 24 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है

माल ढुलाई

†2274. श्री पी. पी. चौधरी :
श्री अनुराग शर्मा :
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :
श्री संगम लाल गुप्ता :
श्री सी. आर. पाटिल :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीय जलमार्गों का उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन पर माल ढुलाई का कार्य चल रहा है;

(ख) क्या सरकार जलमार्गों का माल ढुलाई के माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई वित्तीय प्रोत्साहन और लाभ प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों से चार राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में चार राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए निधि जारी की हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में चार राष्ट्रीय जलमार्गों में से किसी पर माल ढुलाई का कार्य चल रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): राष्ट्रीय जलमार्गों का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा, जिन पर माल ढुलाई प्रचालनरत है, **अनुबंध-1** में दिया गया है। पूरे किए गए व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार, राजस्थान में पोत परिवहन और नौचालन के लिए कोई भी, जलमार्ग प्रचालन के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ख) और (ग): जी हां। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अनुपूरक, पर्यावरण अनुकूल तथा परिवहन के किफायती माध्यम के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय कार्गो जलयानों को चलाने हेतु प्रति किलोमीटर 0.02 प्रति सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी) तथा क्रूज़ जलयानों को चलाने के लिए प्रति किलोमीटर 0.05 प्रति सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी) की दर पर जलमार्ग संबंधी प्रयोक्ता प्रभारों में छूट दी है।

(घ), (ङ) और (च): राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत घोषित किए गए 111 राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) में से, 11 राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश राज्य में हैं तथा 3 राष्ट्रीय जलमार्ग (अंतर-राज्य राष्ट्रीय जलमार्गों सहित) राजस्थान में हैं, जिसका ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन/ विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी हो गई हैं। अध्ययन रिपोर्टों के निष्कर्षों के अनुसार, राजस्थान का कोई भी राष्ट्रीय जलमार्ग पोत परिवहन और नौचालन के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 राष्ट्रीय जलमार्ग नामत: गंगा (रा.ज.-1) तथा घाघरा (रा.ज.-40) को पोत परिवहन और नौचलन के विकास के लिए लिया गया है। यमुना नदी (रा.ज.-110) के वृंदावन-मथुरा-गोकुल जलखंड (24 किलोमीटर) पर एक फ्लोटिंग जेट्टी का विकास कार्य किया जा रहा है और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-3** में दिया गया है।

(छ) और (ज): उत्तर प्रदेश राज्य में माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) प्रचालनरत है। राजस्थान के तीन राष्ट्रीय जलमार्गों में से किसी पर भी माल ढुलाई का कार्य प्रचालन में नहीं है।

अनुबंध-1

माल ढुलाई के लिए प्रचालनरत राष्ट्रीय जलमार्गों का ब्यौरा

क्रम. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय जलमार्ग
1	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	रा.ज.-1 (गंगा –भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया – इलाहाबाद))
2	असम	रा.ज.- 2 (ब्रह्मपुत्र नदी (धुब्री-सादिया))
3	केरल	रा.ज.- 3 (वेस्ट कोस्ट नहर)
4	आंध्र प्रदेश	रा.ज.-4 (कृष्णा गोदावरी नदी प्रणाली)
5	महाराष्ट्र	रा.ज.-10 (अंबा नदी)
6	महाराष्ट्र	रा.ज.-83 (राजपुरी क्रीक)
7	महाराष्ट्र	रा.ज.-85 (रेवडांडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली)
8	महाराष्ट्र	रा.ज.-91 (शास्त्री नदी -जयगढ़ क्रीक प्रणाली)
9	गोवा	रा.ज.- 68 (माण्डोवी नदी)
10	गोवा	रा.ज.- 111 (जुआरी नदी)
11	गुजरात	रा.ज.- 73 (नर्मदा नदी)
12	गुजरात	रा.ज.- 100 (तापी नदी)
13	असम	रा.ज.- 16 (बराक नदी)
14	पश्चिम बंगाल	रा.ज.- 44 (इच्छामती नदी)
15	पश्चिम बंगाल	रा.ज.- 97 (सुंदरबन जलमार्ग)
16	ओडिशा	रा.ज.- 64 (महानदी नदी)
17	ओडिशा	रा.ज.- 5 (ईस्ट कोस्ट कैनाल और मतई नदी/ ब्राह्मणी- खरसुआ- धामरा नदियां/ महानदी डेल्टा नदियां)
18	पश्चिम बंगाल	रा.ज.- 86 (रूपनारायण नदी)
19	केरल	रा.ज.- 9 (अलाप्पुझा -कोट्टायम -अथिरमपुजा नहर)
20	असम	रा.ज.- 31 (धनसीरी /चाल्हे)

21	केरल	रा.ज.- 8 (अलाप्पुझा -चंगनसरी नहर)
22	ओडिशा	रा.ज.- 14 (बैतरणी नदी)
23	ओडिशा	रा.ज.- 23 (बुढा बलांगा)

अनुबंध-2

उत्तर प्रदेश में अंतर-राज्य जलमार्गों सहित राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) के ब्यौरें –

रा.ज. की सं.	राज्य	राष्ट्रीय जलमार्गों का नाम
6	उत्तर प्रदेश	रा.ज.- 12 (असी नदी) रा.ज.- 19 (बेतवा नदी) रा.ज.- 24 (चंबल नदी) रा.ज.- 42 (गोमती नदी) रा.ज.- 103 (टोंस नदी) रा.ज.- 108 (वरुणा नदी)
1	बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल	रा.ज.- 1 (गंगा –भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया – इलाहाबाद))
3	बिहार और उत्तर प्रदेश	रा.ज.- 37 (गंडक नदी) रा.ज.- 40 (घाघरा नदी) रा.ज.- 54 (कर्मनाशा नदी)
1	दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश	रा.ज.- 110 (यमुना नदी)
1	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	रा.ज.- 45 (इंदिरा गांधी नहर)
1	गुजरात और राजस्थान	रा.ज.- 48 (जवाई-लूनी- कच्छ का रण नदी प्रणाली)
1	राजस्थान	रा.ज.- 63 (लूनी नदी)

अनुबंध-3

विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग-1, रा.ज.-40 तथा रा.ज.-110 पर जेट्टी के विकास पर उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास पर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.(क)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रा.ज.- 1 (गंगा –भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली)	211.09	155.10	58.54	87.83	87.22
1.(ख)	रा.ज.- 110 (यमुना का मथुरा जलखंड) पर जेट्टी का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
1.(ग)	उत्तर प्रदेश और बिहार में घाघरा नदी (राज.-40) का विकास	0.01	0.00	0.02	0.79	1.65
2	रा.ज.-1 (यू.पी., बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल) पर – जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी)- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (भारत सरकार का हिस्सा)	430.92	461.82	214.05	229.04	315.88
	कुल	642.02	616.92	272.61	317.66	416.45

***